न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 02 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. लाधुराम पुत्र श्री जलाल उम्र 90 वर्ष 2. लुणाराम पुत्र श्री लाधुराम उम्र 38 वर्ष 3. गडूकाराम पुत्र श्री लाधुराम उम्र 35 वर्ष जाति मेगवाल निवासीयान मारूड़ी तहसील व जिला बाड़मेर(राज0)।	बनाम	1.कुशलसिंह पुत्र श्री दीपसिंह उम्र 70 वर्ष 2.हाकमसिंह पुत्र श्री अगरसिंह उम्र 45 वर्ष 3.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर राजस्व वाद संख्या 149 / 2006 अनवान वादी लाधुराम वगै. बनाम कुशलसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2016।

उपस्थित

1. वकील श्री हुक्मसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 26.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मारुड़ी के खेत खसरा संख्या 232 रकबा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 328 रकबा 11.05 बीघा अपीलांट संख्या 01 के पिता के नाम जारी हुआ। ग्राम मारूड़ी के खेत खसरा संख्या 232 वास्तव में मौके पर 01.02 बीघा और खसरा संख्या 328 रकबा 13.07 बीघा भूमि है तथा सेटलमेंट के नक्शे में उक्त रकबे की भूमि बनती है, किन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खसरा संख्या 232 की 04 बीस्वा और खसरा संख्या 328 की 11.05 बीघा सेटलमेंट वालों की गलती से दर्ज की गई है। अपीलांट / वादी संख्या 01 ने अपने स्वयं के नाम व अपने नाबालिग पुत्रों के नाम उतरदाता संख्या 01 से उक्त खसरों की भूमि खरीद की तब खसरा संख्या 232 रकबा 01.02 बीघा, खसरा संख्या 328 रकबा 13.07 बीघा कुल रकबा 14.09 बीघा भूमि बेचाननामा में अंकित कर प्रतिफल की राशि प्राप्त कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मौके पर चल कर उक्त रकबे की भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया था, जमाबंदी में अंकित कम रकबे का ना तो कम बेचान कम रकबा दर्ज होने का ज्ञान करवाया गया था। इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना बताये और बिना नोटिस दिये "न्याय आपके द्वार लोक अदालत बमुकाम मारुड़ी" पेशी तारीख रख कर एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधविक्ता अपीलांट की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम वकील अपीलांट ने एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि अपील मीमो एवं स्थगन आवेदन टाईप करते समय भूल से ग्राम मारूड़ी के खसरा संख्या 328 की जगह खसरा संख्या 338, 238 गलत लिखा गया है लिहाजा आवेदन स्वीकार कर ग्राम मारूड़ी के खसरा संख्या 338, 238 के स्थान पर खसरा संख्या 328 लाल स्याही से अंकित कर संशोधित करने का आदेश फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से सपष्ट है कि अपीलांट/वादी के खसरा संख्या 232 व 328 के संबंध में दावा किया था परन्तु अब प्रस्तुत आवेदन के तहत केवल खसरा संख्या 328 को ही उल्लेख करना एवं हसी के संबंध में अनुतोष चाहता है लिहाजा उसका खसरा संख्या 232 के संबंध में भविष्य में कोई उज्र/एतराज उठाने के अधिकार को समाप्त करते हुए आवेदन स्वीकार कर तदनुसार संशोधित वाद पेश करने की अनुमति दी जाती है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय "न्याय आपके द्वार लोक अदालत बमुकाम मारुड़ी" में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय बिना सुनवाई का मौका दिये एकतरफा पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। न्याय आपके द्वार में उन्ही निर्णयों को पारित किया जा सकता है। जिसमें पक्षकारान में आपसी सहमती हो। Contested वाद के निर्णय न्याय आपके द्वार में बिना सहमती के नहीं किये जा सकता है। अपीलांटगण विवादग्रस्त आराजी के सद्भाविक क्रेता है तथा मौके पर काब्जि है। ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय काबिले खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावील की आदेशिका/आदेश दिनांक 17.05.2016 को देखा। उस रोज बमुकाम मारूड़ी ग्राम पंचायत पर केम्प कोर्ट में पत्रावली प्रस्तुत हुई, तब अपीलांट/वादी संख्या 1 तथा रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 2 दोनों उपस्थित थे और इसका प्रमाण आदेशिका के बांये एवं दांये हाशिये पर उनके अंगुष्ठ निशान है। उपस्थित पक्षकारान को सुना जाना आदेशिका में स्पष्ट उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के अपीलमीमों में उठाए एतराजात कि "वाद में कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना और दोनो पक्षों को सुने बिना एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2016 के तहत अपीलांट का वाद खारिज कर दिया" स्वीकार करने योग्य नहीं ठहरते। पत्रावली पर वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 232 व 328 का रकबा क्रमश 0.04 बीघा व 11.05 बीघा अंकित है जो सही है इसलिए अपीलांट के कथन राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाणित नही होते है। बिना किसी आधार के खसरों का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित रकबा से अधिक रकबा घोषित कर तदनुसार अंकन करने का न तो कोई आधार है एवं न ही ऐसी कोई अधिकारिता (Right) है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि की दृष्टि में वैधानिक है एवं इसमें किसी भी तरह की दखल की गुंजाईश नहीं है। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 149/2006 बअनवान लाधुराम वगै. बनाम कुशलसिंह वगै. में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2016 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

26/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner